



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273717
CG-DL-E-22062026-273717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3146]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3146]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASADHA 1, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3272(अ).— केंद्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(गक) "प्रमुख कार्यकारी", किसी व्यष्टि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में, निम्नलिखित को सम्मिलित करता है-
(i) किसी कंपनी के निदेशक;
(ii) एक फर्म में एक भागीदार;

- (iii) एक न्यास का न्यासी;
- (iv) एक हिंदू अविभाजित कुटुंब का कर्ता;
- (v) किसी सोसायटी, न्यास, ट्रेड यूनियन या व्यष्टियों का संगम का कोई पदाधिकारी, अधिशासी निकाय, प्रबंध समिति या अन्य नियंत्रक प्राधिकारी का सदस्य; और
- (vi) कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाता है, जो ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या मामलों पर नियंत्रण रखता है, या उसके लिए उत्तरदायी है;।

3. उक्त नियम के नियम 5 में,-

(क) खंड (i) में, “व्यक्ति की कार्यकारी समिति या अधिशासी परिषद के सदस्यों” शब्दों के स्थान पर, “व्यक्ति के मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iii) में, “कार्यकारी समिति या अधिशासी परिषद के सदस्यों” शब्दों के स्थान पर “मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियम के नियम 9 में

(क) उप नियम (1) के खंड (क) में, “प्रत्येक पदाधिकारी और मुख्य कार्यकारी और सदस्य” शब्दों के स्थान पर, “प्रत्येक मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (1क) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1ख) (क) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में प्रयोजन या प्रयोजनों और राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को निर्दिष्ट किया जाएगा जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण दिया गया है।

(ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में उल्लेख किया जाएगा-

(i) वह प्रयोजन या प्रयोजनों जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण मांगा जाता है, केवल ऐसे प्रयोजनों की सूची से चुना जाता है जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं; और

(ii) वे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र जिनमें संघ क्रियाकलापों को करने का प्रस्ताव करता है।

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियम) संशोधन नियम, 2026 के प्रारंभ से पहले रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक संगम, ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर, केंद्रीय सरकार को प्ररूप एफसी-6एफ में एक सूचना प्रस्तुत करेगा जिसमें उस प्रयोजन या प्रयोजनों और राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके लिए वह अपना रजिस्ट्रीकरण बनाए रखना चाहता है”।

(ग) उपनियम (2) के खण्ड (च) के उपखण्ड (ii) में,-

(i) मद (ख) में, “अधिशासी निकाय के पदाधिकारियों या सदस्यों” शब्दों के स्थान पर, “मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) मद (ग) में, “मुख्य कार्यकारी या पदाधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) मद (घ) में, “अधिशासी निकाय के पदाधिकारी या सदस्य” शब्दों के स्थान पर, “मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपनियम (4) के खंड (ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“परंतु ऊपर विनिर्दिष्ट शुल्क एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में संचालन करने और केवल एक प्रयोजन के लिए क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए होगा; और जहां आवेदन एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित है, वहां प्रति राज्य या संघ राज्यक्षेत्र तीन सौ रुपये की अतिरिक्त राशि

देय होगी, और जहां आवेदन एक से अधिक प्रयोजन से संबंधित है, वहां प्रति प्रयोजन तीन सौ रुपये की अतिरिक्त राशि देय होगी”।

(ड) उपनियम (5) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण 1.- इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी ऐसे संगम को जिसमें भारतीय मूल के लोगों के अतिरिक्त विदेशी नागरिक हैं, उसके प्रमुख पदाधिकारी हैं, साधारणतया अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या पूर्व अनुमति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा:

परंतु केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे मामलों या परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसमें विदेशी नागरिकों को रजिस्ट्रीकरण या पूर्व अनुमति पर विचार के प्रयोजनों के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें और ऐसे विचार के लिए किसी संगम के प्रमुख पदाधिकारी होने की अनुमति दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण 2.-शंकाओं के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार प्राप्त विदेशी अभिदाय का उपयोग केवल भारत में किए गए उन क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा जो संगम के घोषित प्रयोजनों के अनुसार और उन प्रयोजनों के लिए किए जाएंगे जिनके लिए ऐसा योगदान प्राप्त किया गया है”।

5. उक्त नियम में, नियम 9क में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु दूसरी या किसी बाद की किस्त को जारी करने की मांग करने वाली संगम को प्ररूप एफसी-3बीबी में आवेदन करना होगा और दूसरी या कोई बाद की किस्त पिछली किस्त में मिले विदेशी योगदान के 75 प्रतिशत के प्रयोग और ऐसे प्रयोग की फील्ड जांच के बाद ही जारी की जाएगी।”

6. उक्त नियम में, नियम 12 के उपनियम (2) में, “प्रत्येक पदाधिकारी मुख्य कार्यकारी और सदस्य” शब्दों के स्थान पर, “प्रत्येक मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियम में, नियम 14 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“14क . समुचित क्रियाकलाप के लिए विदेशी अभिदाय का उपयोग .- धारा 14 के अधीन निरस्तीकरण और धारा 16 के अधीन नवीकरण के लिए, यह माना जाएगा कि किसी संगम ने समाज के लाभ के लिए अपने चुने हुए फील्ड में सही काम किया है, अगर उसने पिछले दो वित्तीय वर्षों में ऐसे प्रयोजन के लिए कम से कम दस लाख रुपये का विदेशी अभिदाय का उपयोग किया है

स्पष्टीकरण.- “उचित क्रियाकलाप” के अंतर्गत केवल ऐसी क्रियाकलाप शामिल मानी जाएगी जो अधिनियम के अनुसार प्राप्त विदेशी अभिदाय में से या उसका उपयोग करके की जाती है”।

8. उक्त नियम के नियम 17 में,-

(क) उप नियम (1) में , “आय और व्यय विवरणी” शब्दों के पूर्व, “विस्तृत क्रियाकलाप रिपोर्ट,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपनियम (3), (4) तथा (5) का लोप किया जाएगा।

9. उक्त नियम में, नियम 17क के खंड (iv) में, “पदाधिकारी मुख्य कार्यकारी या सदस्य” शब्दों के स्थान पर, “मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे।

10. उक्त नियम में, नियम 17क के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“17ख. रजिस्ट्रीकरण की परिधि में परिवर्तन.- (1) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संगम जो अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को शामिल या हटाकर अपने संचालन के क्षेत्र को बदलने का आशय रखता है, तो साथ में ऐसे समावेश या हटाने के लिए प्ररूप एफसी-6एफ में आवेदन करेगा, -

(क) ऐसे आवेदन को मंजूरी देने वाला अधिशासी निकाय का संकल्प ;

(ख) विहित शुल्क।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत अतिरिक्त प्रयोजन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करने के लिए देय शुल्क नियम 9 के उप-नियम (4) और उसके परंतुक के अनुसार होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे, उपनियम (1) के अन्तर्गत आवेदन को अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकेगी।

11. उक्त नियमों में, नियम 23 के पश्चात् तथा प्ररूप एफसी-1 से पूर्व निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

**" अनुसूची
रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन
[नियम 9 (1ख) देखें]**

I. धार्मिक:

क्रम.	प्रयोजन /क्रियाकलाप
1	गुरुद्वारों, मठों, सभास्थलों और अन्य पूजा स्थलों का निर्माण, नवीनीकरण और रखरखाव।
2	पूजा-पाठ में प्रयोग होने वाले पवित्र ग्रंथों और कमेंट्री का बचाव, प्रिंटिंग, अनुवाद और डिजिटाइज़ेशन।
3	धार्मिक दर्शन, धर्मशास्त्र और धार्मिक इतिहास (धर्मान्तरण को छोड़कर) के अध्ययन, प्रलेखन और संरक्षण में लगे संस्थानों का संरक्षण और समर्थन।।
4	विरासत धार्मिक स्थलों पर तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं (पीने का पानी, स्वच्छता, आश्रय) प्रदान करना।
5	धार्मिक तत्वावधान में धर्मशालाओं, लंगर, अन्नदान और सामुदायिक रसोई की स्थापना।
6	धार्मिक शिक्षा का संचालन, नैतिक निर्देश, सत्संग, प्रवचन और ध्यान रिट्रीट (धर्मान्तरण को छोड़कर)।
7	भक्ति संगीत, मंत्रोच्चारण, रंगमंच और धार्मिक कलाओं को बढ़ावा देना।
8	स्वदेशी और जनजातीय आस्था प्रथाओं, अनुष्ठानों और पूजा प्रणालियों का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और पुनरुद्धार (धर्मान्तरण को छोड़कर)।
9	पवित्र अवशेषों, तीर्थस्थलों, पूजा स्थलों और पुरातात्विक धार्मिक विरासत की सुरक्षा जो मुख्य रूप से धार्मिक प्रथा से जुड़ी है।
10	धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और आस्था समुदायों की मौखिक-इतिहास रिकॉर्डिंग का संग्रहण, डिजिटलीकरण और मौखिक-इतिहास रिकॉर्डिंग।
11	धार्मिक प्रकाशन, पत्रिकाएँ और आस्था-आधारित अनुसंधान।
12	धार्मिक पब्लिकेशन, जर्नल और आस्था पर आधारित रिसर्च।
13	धार्मिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों की स्थापना।
14	धार्मिक संगठनों के माध्यम से संचालित आस्था-आधारित परामर्श केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र और सामाजिक देखभाल कार्यक्रम।
15	पारंपरिक पवित्र शिल्पों में प्रशिक्षण: मूर्ति-निर्माण, चर्च कला, शास्त्रों की सुलेख, प्रतिमा विज्ञान, आदि।
16	दफन/दाह संस्कार स्थल का विकास और रखरखाव।

II. सांस्कृतिक:

क्रम.	प्रयोजन /क्रियाकलाप
1	स्मारकों, विरासत स्थलों, किलों और महलों का पुरातात्विक अन्वेषण, उत्खनन, संरक्षण और जीर्णोद्धार।
2	संग्रहालयों, अभिलेखागारों, पुस्तकालयों, सांस्कृतिक व्याख्या केंद्रों और विरासत यात्राओं की स्थापना और रखरखाव।
3	लोक गीतों, नृत्यों, मौखिक महाकाव्यों, कहानी कहने और कठपुतली कला के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और संवर्धन।
4	शास्त्रीय प्रदर्शन कला के लिए समर्थन: भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, यक्षगान, आदि।
5	भारतीय परंपराओं से प्रेरित समकालीन कलाओं को बढ़ावा देना (राजनीतिक/वैचारिक सामग्री को छोड़कर): दृश्य कला, मूर्तिकला, सिनेमा, फोटोग्राफी, डिजाइन।
6	कारीगरों, शिल्पकारों, हथकरघा बुनकरों, कुम्हारों, लकड़हारों और धातु श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
7	गैर-धार्मिक पांडुलिपियों, ताड़-पर्ण ग्रंथों, चित्रों, भित्तिचित्रों और दुर्लभ सांस्कृतिक कलाकृतियों का संरक्षण।
8	क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों और लिपियों का संवर्धन और संरक्षण, जिसमें अनुवाद परियोजनाएं भी शामिल हैं।
9	साहित्यिक अकादमियों की स्थापना, लेखकों, कवियों और अनुवादकों को समर्थन, और पुस्तक मेलों का आयोजन।
10	त्योहारों, शिल्पों, मौखिक परंपराओं, भाषाओं और रीति-रिवाजों सहित आदिवासी और स्वदेशी सांस्कृतिक विरासत का समर्थन, धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा प्रथाओं को छोड़कर।
11	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सवों, मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन।
12	शिल्प गांवों, विरासत सर्किट, कला केंद्रों और सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास।
13	पारंपरिक पाक कला प्रथाओं, पारंपरिक खेलों, खाद्य उत्सवों और पाक विरासत संरक्षण को बढ़ावा देना।
14	सांस्कृतिक नृविज्ञान, नृविज्ञान और लोक अध्ययन में अनुसंधान।
15	फिल्म, रेडियो कार्यक्रम, थिएटर स्क्रिप्ट और तस्वीरों का संग्रहण और डिजिटलीकरण।
16	पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दस्तावेजीकरण और संरक्षण (उदाहरण के लिए, आयुर्वेद पांडुलिपियाँ, आदिवासी चिकित्सा प्रथाएँ)।
17	वैज्ञानिक और ज्ञान विरासत का संरक्षण (खगोल विज्ञान, गणित, धातु विज्ञान पांडुलिपियाँ, पारंपरिक प्रौद्योगिकियाँ)।
18	राष्ट्रीय महत्व के आधुनिक ऐतिहासिक आंदोलनों और मौखिक इतिहासों का दस्तावेजीकरण और अभिलेखागार (स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुधार, आदि)।

III. आर्थिक:

क्रम.	प्रयोजन /क्रियाकलाप
1	कृषि विकास कार्यक्रम: किसान प्रशिक्षण, गैर-व्यावसायिक इनपुट समर्थन, जैविक खेती को बढ़ावा देना।
2	संबद्ध गतिविधियाँ: डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन (गैर-व्यावसायिक)।
3	किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन और सुदृढीकरण।
4	सूक्ष्म वित्त, सूक्ष्म ऋण और गरीब परिवारों के लिए सामुदायिक बचत संस्थान।
5	मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता की ओर न ले जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीविका से जुड़े अल्पकालिक कौशल कार्यक्रम (अनौपचारिक)।
6	गैर-लाभकारी और सामुदायिक कल्याण अभिविन्यास के साथ किए गए बुनाई, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और कृषि-प्रसंस्करण जैसे ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
7	गैर-लाभकारी या सामुदायिक-लाभ के आधार पर काम करने वाले सामाजिक रूप से उन्मुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समर्थन।
8	महिला उद्यमिता संवर्धन: दर्जी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, लघु-स्तरीय विनिर्माण।
9	युवा लोगों के लिए कौशल इन्क्यूबेशन केंद्र और रोजगार-उन्मुख डिजिटल कौशल कार्यक्रम (आईटी, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स)।
10	आजीविका के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण: ग्रामीण हाट, शीत भंडार, सामुदायिक प्रसंस्करण इकाइयाँ।
11	उचित व्यापार, नैतिक आपूर्ति श्रृंखला और पर्यावरण के अनुकूल व्यवसायों को बढ़ावा देना।
12	पर्यावरण-पर्यटन और होमस्टे में सतत सामुदायिक आजीविका मॉडल को प्रोत्साहन।
13	तटीय और अंतर्देशीय समुदायों के लिए मत्स्य पालन और जलकृषि आजीविका प्रशिक्षण।
14	हरित अर्थव्यवस्था आजीविका: सौर तकनीशियन, ई-कचरा हैंडलर, पुनर्चक्रण इकाइयाँ।
15	प्रशिक्षित युवाओं के लिए नौकरी प्लेसमेंट सेवाएं, रोजगार एक्सचेंज और बाजार संपर्क।
16	खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इकाइयाँ।
17	डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, प्रौद्योगिकी पहुंच, और ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आजीविका वृद्धि और आर्थिक समावेशन के लिए डिजिटल समावेशन कार्यक्रम।
18	प्रवासी श्रमिकों और कमजोर समूहों के लिए आजीविका सहायता, जिसमें अस्थायी आश्रय से जुड़े रोजगार के अवसर भी शामिल हैं।
19	सामुदायिक नवीकरणीय ऊर्जा उद्यम (सौर, बायोगैस, माइक्रो-ग्रिड) स्थानीय नौकरियों का सृजन करते हैं।

IV. शैक्षिक:

क्रम.	प्रयोजन /क्रियाकलाप
1	प्रारंभिक बचपन शिक्षा केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, वाचनालयों और सामुदायिक शिक्षण केंद्रों सहित शैक्षणिक संस्थानों और सुविधाओं की स्थापना और प्रबंधन।
2	वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, वजीफा और वित्तीय सहायता।
3	वयस्क साक्षरता, सतत शिक्षा और श्रमिकों के लिए रात्रि विद्यालय।
4	हाशिए पर रहने वाले बच्चों और ब्रेल, सांकेतिक भाषा और सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा।
5	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम और शैक्षणिक छात्रवृत्तियाँ।
6	मान्यता प्राप्त प्रमाणन, डिप्लोमा, डिग्री या मान्यता प्राप्त करने के लिए तकनीकी, औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन।
7	अनुसंधान संस्थान, थिंक-टैंक, इनोवेशन लैब और अकादमिक कुर्सियाँ।
8	डिजिटल शिक्षा मंच, स्मार्ट कक्षाएं, ई-लाइब्रेरी और दूरस्थ शिक्षा।
9	लड़कियों की शिक्षा पहल: आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति।
10	प्रवासी श्रमिकों, शरणार्थियों और खानाबदोश जनजातियों के बच्चों के लिए शिक्षा।
11	पुल पाठ्यक्रम, उपचारात्मक कोचिंग और ड्रॉपआउट पुनः एकीकरण कार्यक्रम।
12.	स्कूलों/कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा (जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता जागरूकता आदि सहित) कार्यक्रम।
13	एसटीईएम शिक्षा कार्यक्रम, विज्ञान क्लब और नवाचार मेले।
14.	स्कूलों/कॉलेजों से जुड़ी संरचित खेल शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमियां।
15	भाषा शिक्षण, अनुवाद अध्ययन और भाषाई प्रशिक्षण।
16	करियर परामर्श केंद्र, मार्गदर्शन कार्यक्रम और शैक्षिक नियुक्ति प्रकोष्ठ।
17	वंचित पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में विदेश में उच्च शैक्षणिक छात्रवृत्तियां
18.	स्कूलों में मूल्य-आधारित और नैतिकता शिक्षा।
19	संवैधानिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नागरिक जिम्मेदारियों पर जागरूकता कार्यक्रम, सख्ती से गैर-राजनीतिक प्रकृति में।
20	आपदा तैयारी शिक्षा: मॉक ड्रिल, सुरक्षा प्रशिक्षण और सामुदायिक बीमा साक्षरता।
21	डिजिटल समावेशन पहल: दिव्यांग छात्रों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियां, ग्रामीण ई-लर्निंग।
22	युवा नेतृत्व और नागरिक भागीदारी कार्यक्रम।

V. सामाजिक:

क्रम.	प्रयोजन/ क्रियाकलाप
1	अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, एम्बुलेंस सेवा, मरीजों को लाने-ले जाने की सुविधा और आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करना और चलाना ।
2	निवारक स्वास्थ्य देख-रेख वैक्सीनेशन ड्राइव, स्वास्थ्य जागरूकता कैंप वेक्टर-बोर्न रोग नियंत्रण।
3	मातृ और बाल स्वास्थ्य देख-रेख जिसमें प्रसवशाला, नवजात शिशु देख-रेख, पोषण सप्लीमेंटेशन, पोषण पुनर्वास, और कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंध
4	पोषण और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम , जिसमें मध्याह्न भोजन, सामुदायिक रसोई, भोजन कार्यक्रम , अनाज बैंक, राशन सहायता और भूख-राहत पहल शामिल हैं।
5	पीने के पानी की आपूर्ति की परियोजनाएं, सामुदायिक आर ओ प्लांट और पाइप से पानी की स्कीम ।
6	सफ़ाई: शौचालय बनाना, साफ़-सफ़ाई के बारे में जागरूकता, मासिक धर्म से जुड़ी स्वास्थ्य पहल ।
7	अनाथालय, अनाथ देखरेख, दत्तक सहायता और बाल संरक्षण गृह ।
8	वृद्धाश्रम, दैनिक देखरेख केंद्र, जेरियाट्रिक क्लिनिक, और पेंशन सहायता ।
9	दिव्यांगों की देखभाल, जिसमें सहायक उपकरण, पुनर्वास सेवाएं, थेरेपी, व्यावसायिक सहायता, देखभाल करने वालों की सहायता और समुदाय में शामिल करने के कार्यक्रम शामिल हैं ।
10	दवा व्यसनी, शराबियों और नशे के आदि लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र।
11	मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र , आत्महत्या निवारण हेल्प लाइन तथा सामुदायिक मनोचिकित्सक ।
12	महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण: आश्रय, विधिक सहायता, स्वतः रक्षा प्रशिक्षण ।
13	मानव व्यापार रोधि कार्यक्रम : बचाव, पुनर्वास, व्यवसायिक पुनःएकीकरण ।
14	बेघर, बेसहारा, छोड़े गए और कमज़ोर लोगों के लिए बेघर आश्रय, रात्रि आश्रय, कम लागत वाले घर तथा पुनर्वास सुविधाएं ।
15	विधिक सहायता क्लिनिक, पैरा विधिक प्रशिक्षण और न्याय कार्यक्रम की सुगमता ।
16	बाढ़, भूकंप, चक्रवात, महामारी और वैसी ही दूसरी आपदाओं से संबंधित आपदा राहत, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा पश्च पुनर्वास ।
17	आधारभूत नागरिक और सामुदायिक अवसंरचना की सुविधाएं जैसे विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़के, सौर रोशनी तथा सामुदायिक हॉल केवल पूरी तरह से गैर वाणिज्यिक, सामुदायिक कल्याण आधारित ।
18	समुदाय आधारित पर्यावरण संरक्षण तथा जीर्णोद्धार (वनरोपण, जैव विविधता पार्क तथा वनस्पति परियोजनाएं)
19	सामुदायिक कल्याण तथा पेयजल सुरक्षा के लिए जल संचयन तथा वाटरशेड प्रबंधन ।
20	सामुदायिक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, प्लास्टिक-फ्री कैंपेन, पुनर्चक्रण यूनिट
21	सड़क सुरक्षा: जागरूकता, ट्रॉमा-देखरेख केंद्र, फर्स्टेड प्रशिक्षण ।
22	लागू प्रसारण, दूरसंचार तथा आई टी विनियमों की अनुपालना के अधीन सामुदायिक रेडियो स्टेशन, हेल्पलाइन और जागरूकता प्लेटफार्म का प्रचालन,
23	छोड़े गए कैदियों का पुनर्वास तथा पुनःएकीकरण ।
24	घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न तथा अम्लीय हमले के पीड़ितों को सहायता ।
25	ज़रूरतमंद बच्चों तथा युवाओं (गैर संस्थानिक) के लिए सामुदायिक स्तर के खेल तथा मनोरंजन सुविधाएं ।

26	पशु संरक्षण, बचाव और पुनर्वास।
27	लोक स्वास्थ्य अनुसंधान: रोड मैपिंग, एपिडेमियोलॉजी और स्वस्थ डेटा प्रणालियां।
28	गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस सेवाएं।
29	सामुदायिक रक्त बैंक, आंखों का बैंक और अंगदान जागरूकता।
30	आपदा से पहले जोखिम में कमी, उसे कम करने, तैयारी और लचीलापन कार्यक्रम, जिसमें बाढ़ नियंत्रण कार्य, चक्रवात आश्रय, पूर्व चेतावनी प्रसार, सामुदायिक अभ्यास और सामुदायिक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल शामिल हैं।

12. उक्त नियमों में, प्ररूप एफसी-2 में, क्रम संख्या 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“8क. कार्यालय और सेवा विवरण का ब्यौरा:

(क) विधानसभा/सदन, निर्वाचन क्षेत्र का नाम (विधानसभा के सदस्य की दशा में)

(ख) पद, दल का नाम (राजनीतिक दल के पदाधिकारी की दशा में)

(ग) पदनाम, न्यायालय (न्यायाधीश की दशा में)

(घ) सेवा, बैच/सेवा कार्यग्रहण करने का वर्ष, पदनाम, कार्यालय ब्यौरा (सरकारी कर्मचारी की दशा में)

(ड.) पदनाम, कार्यालय विवरण और निगम/निकाय का नाम (निगम या निकाय के कर्मचारी की दशा में)।”

13. उक्त नियमों में, प्ररूप एफसी-3क में,-

(क) क्रम संख्या 2 के सामने, -

(i) प्रविष्टि (ड.) में, शब्द “, यदि कोई हो” का लोप किया जाएगा;

(ii) प्रविष्टि (च) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(छ) संगम के सोशल मीडिया खाते: ”;

(ख) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“4क. रजिस्ट्रीकरण का विस्तार:

(क) एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण का प्रयोजन (क्रियाकलापों का चयन)

(ख) परिचालन का भौगोलिक क्षेत्र (राज्यों का चयन)”

(ग) क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“5क. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किए गए क्रियाकलापों का ब्यौरा:

क्रम.	परियोजना/क्रियाकलाप का नाम	पता/स्थान	वित्तीय वर्ष 1 में उपयोग की गई रकम	वित्तीय वर्ष 2 में उपयोग की गई रकम	वित्तीय वर्ष 3 में उपयोग की गई रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)”

(घ) क्रम संख्या 10 में, सारणी के स्तंभ (1) के अधीन प्रविष्टियों में, “ कोई अन्य “एफसीआरए खाता”, यदि कोई हो” शब्दों के स्थान पर, “ कोई अन्य “एफसीआरए और उपयोक्ता खाते”, यदि कोई हों,” शब्द रखे जाएंगे;

(ड.) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“13. क्या:

- (i) व्यक्ति/संगम का गठन या स्थापना किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश द्वारा की गई हो;
- (ii) व्यक्ति/संगम पूर्णतया संबंधित सरकार के स्वामित्व में हैं;
- (iii) व्यक्ति/संगम को अपने खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) से अनिवार्य रूप से संपरीक्षा करवाना अपेक्षित होगा”।

14. उक्त नियमों में, प्ररूप एफसी-3ख में, क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“14. क्या:

- (i) व्यक्ति/संगम का गठन या स्थापना किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश द्वारा की गई हो ;
- (ii) व्यक्ति/संगम पूर्णतया संबंधित सरकार के स्वामित्व में है;
- (iii) व्यक्ति/संगम को अपने खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) से अनिवार्य रूप से संपरीक्षा करवाना अपेक्षित होगा”।

15. उक्त नियमों में, प्ररूप एफसी-3ख के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप एफसी-3ख

[नियम 9क देखें]

संख्या _____

तारीख: _____

दर्पण आईडी: _____

सचिव, भारत सरकार

गृह मंत्रालय,

विदेशी प्रभाग (एफसीआरए खंड),

नई दिल्ली-110002.

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त पूर्व अनुमति के अधीन अनुमत विदेशी अभिदाय की दूसरी अथवा पश्चातवर्ती किश्त जारी करने के लिए आवेदन।

मैं/हम (व्यक्ति/संगम का नाम), को (विदेशी स्रोत का नाम) से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए तारीख आदेश संख्या द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 9क के अधीन अगली किश्तजारी करने के लिए निम्नलिखित विशिष्टियाँ प्रस्तुत करते हैं।

1. व्यक्ति/संगम का ब्यौरा

(क) पूरा नाम :

(ख) पता:

- (ग) एफसीआरए पूर्व अनुमति संख्या और तारीख:
 (घ) टेलीफोन नंबर:
 (ई) ई-मेल पता:
 (च) दर्पण आईडी:

2. पूर्व अनुमति का ब्यौरा :

- (क) विदेशी स्रोत का नाम:
 (ख) विदेशी स्रोत का देश:
 (ग) पूर्व अनुमति के अधीन अनुमत विदेशी अभिदाय का मूल्य (रु.)
 (घ) वह प्रयोजन जिसके लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी:
 (ङ.) वह अवधि जिसके लिए पूर्व अनुमति अनुदत्त की गई थी:
 (च) किशतों की संख्या जिसमें एफ सी अनुमत्त किया गया था:
 (छ) पूर्व अनुमोदित किशतों की संख्या:

3. प्राप्त तथा उपयोग किए गए विदेशी अभिदाय का ब्यौरा

विशिष्टियां	रकम (रु.)
(क) पूर्व अनुमति के अधीन अनुमत विदेशी अभिदाय का मूल्य	
(ख) आज तक प्राप्त विदेशी अभिदाय	
(ग) आज तक उपयोग किया गया विदेशी अभिदाय	
(घ) उपलब्ध अतिशेष विदेशी अभिदाय	

4. पूर्व किशत का ब्यौरा :

विशिष्टियां	रकम (रु.)
(क) पूर्व किशत की प्राप्त रकम	
(ख) प्राप्ति का वर्ष	
(ग) पूर्व किशत से उपयोग की गई रकम	
(घ) उपलब्ध अतिशेष	

क्या पूर्व किशत में प्राप्त विदेशी अभिदाय का 75 प्रतिशत या अधिक उपयोग किया गया है : हाँ / नहीं

5. पूर्व किशत में प्राप्त विदेशी अभिदाय का क्रियाकलाप-वार उपयोग

क्रम संख्या (1)	परियोजना/क्रियाकलाप का नाम और स्थान (2)	प्राप्त रकम (रु.) (3)	उपयोग की गई रकम (रु.) (4)	अतिशेष (रु.) (5)	टिप्पणी (6)
1					
2					
3					
	कुल				

6. पूर्व किश्त में प्राप्त विदेशी अभिदाय से सृजित आस्तियों का ब्यौरा, यदि कोई हो :

क्रम संख्या (1)	आस्ति का ब्यौरा (2)	पता/स्थान (3)	मूल्य (रु.) (4)
1			
2			
3			

7. क्या रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान —

(क) किसी विदेशी अभिदाय का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न के लिए किया गया है जिसके लिए पूर्व अनुमति अनुदत्त की गई थी; **हाँ / नहीं**

(ख) पूर्व अनुमति के अनुसरण से अन्यथा कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त हुआ है; **हाँ / नहीं**

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 या तदधीन बनाए गए नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है; **हाँ / नहीं**

(घ) कार्यालयवाहक या मुख्य कृत्यकारियों में कोई परिवर्तन हुआ है; **हाँ / नहीं**

(ङ.) विदेशी अभिदाय से सृजित किसी आस्ति का अंतरण, विक्रय या अन्यथा निपटान हुआ है । **हाँ / नहीं**

* जहां कहीं भी उत्तर 'हां' है, वहां संक्षिप्त ब्यौरा उपबंधित किया जाएगा ।

8. अगली किश्त में जारी किए जाने वाले विदेशी अभिदाय की रकम: रु.: ___

घोषणा और वचनबंध :

(ए) मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है;

(ख) मैं/हम वचन देता/देते हैं कि पहले से प्राप्त विदेशी अभिदाय का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए पूर्व अनुमति अनुदत्त की गई थी;

(ग) मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/करते हैं कि पूर्व किश्त में प्राप्त विदेशी अभिदाय का कम से कम पचहत्तर प्रतिशत उपयोग कर लिया गया है;

(घ) मैं/हम वचन देता/देते हैं कि अगली किश्त में जारी विदेशी अभिदाय का उपयोग केवल केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त की गई पूर्व अनुमति के निबंधन और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

स्थान:

तारीख:

आपका आज्ञाकारी,

(हस्ताक्षर)

[मुख्य कृत्यकारी का नाम

(सभापति /अध्यक्ष /सचिव/सीईओ/एमडी)]

(व्यक्ति/संगम की मुहर)

टिप्पण : दूसरी तथा पश्चातवर्ती किश्त जारी करने के इच्छुक आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे, अर्थात्:—

(क) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित पूर्व किश्त का उपयोगिता विवरण,

(ख) एफसीआरए नामित खाते और उपयोग खाते (खातों) के बैंक विवरण की प्रति जिसमें पूर्व किश्त की प्राप्ति से लेकर आवेदन की तारीख तक की अवधि शामिल हो;

(ग) पूर्व किश्त में प्राप्त विदेशी अभिदाय के उपयोग के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट, क्रियाकलापों के सहित फोटोग्राफ, यदि कोई हो;

(घ) ऐसे अन्य दस्तावेज जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित किए जाएं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

मैंने (व्यक्ति/संगम का नाम) की तारीख..... से लेकर..... तक की अवधि की सभी सुसंगत पुस्तकों और वाउचरों की जांच कर ली है तथा पूर्व किश्त में प्राप्त विदेशी अभिदाय के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियां प्रमाणित करता हूँ:—

(i) पूर्व किश्त में प्राप्त कुल विदेशी अभिदाय रु.

(ii) पूर्व किश्त में से उपयोग किया गया विदेशी अभिदाय रु.

(iii) प्रमाणपत्र की तारीख तक उपयोग न किए गए विदेशी अभिदाय का अतिशेष रु.

(iv) पूर्व किश्त में प्राप्त विदेशी अभिदाय के 75 प्रतिशत से कम उपयोग नहीं हुआ है : हाँ / नहीं

(v) पिछली किस्त में प्राप्त विदेशी अभिदाय का गतिविधि-वार और स्थान-वार उपयोग निम्नानुसार है -

क्र. सं. (1)	परियोजना/गतिविधि का नाम और स्थान (2)	प्राप्त रकम (रु.) (3)	उपयोग की गई रकम (रु.) (4)	अतिशेष रकम (रु.) (5)	टिप्पणियां (6)
1					
2					

मैंने सभी सुसंगत पुस्तकों और अभिलेखों की जांच की है, और अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास (व्यक्ति/संगम का नाम) के अनुसार

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(i) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया गया है;

या

(ii) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है। उल्लंघनों के ब्यौरे निम्नानुसार है -

चार्टर्ड एकाउंटेंट के ब्यौरे:

(i) नाम:

(ii) सदस्य रजिस्ट्रीकरण संख्याक:

(iii) पता:

(iv) ई-मेल पता:

(v) प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख :

स्थान:

तारीख:

(चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर)

नाम:

सदस्यता संख्याक:

(मुद्रा)"।

16. उक्त नियमों के, प्ररूप एफसी-3ग में, -

(क) क्रम संख्याक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"12. क्या :

(1) व्यक्ति/संगम केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश द्वारा या उसके अधीन गठित या स्थापित किया गया है;

(2) व्यक्ति/संगम पूर्ण रूप से संबंधित सरकार के स्वामित्व में है;

(3) व्यक्ति/संगम को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा अपने लेखाओं की अनिवार्य रूप से लेखा परीक्षा कराना अपेक्षित है।

(ख) प्ररूप के अंत में टिप्पण में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्ष की वर्ष-वार विस्तृत गतिविधि रिपोर्ट।

17. उक्त नियमों के, प्ररूप एफसी-4 में,

(क) क्रम संख्याक 1 के सामने, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(ग) व्यक्ति/संगम की आधिकारिक वेबसाइट:

(घ) व्यक्ति/संगम के सोशल मीडिया अकाउंट: ";

(ख) क्रम संख्याक 2 के सामने, खंड (ii) में

(i) उपखंड (क) में, सारणी में, स्तंभ (3) में, "संस्थानिक/व्यष्टिक" शीर्षक वाले स्तंभ के स्थान पर, " संस्थानिक/व्यष्टिक/दाता सलाहकृत निधियां/अन्य मध्यस्थ प्रेषण यान" शीर्षक स्तंभ रखा जाएगा;

(ii) उपखंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कक) दाता सलाहकृत निधियों/अन्य मध्यस्थ प्रेषण यानों के मामले में अंतिम दाताओं का ब्यौरे:

क्र.	मध्यस्थ का नाम	मध्यस्थ की प्रकृति (दाता सलाहकृत निधियां/अन्य मध्यस्थ प्रेषण यान)	अंतिम दाता का नाम	अंतिम दाता का पता	अंतिम दाता का ई-मेल पता	रकम रु.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(ग) क्रम संख्याक 3 के सामने खंड (क) में,

(i) "(रूपए)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, "[विस्तृत गतिविधि रिपोर्ट संलग्न की जाएगी]" शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) सारणी के पश्चात् और उपखंड (i) के पहले, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"क्र.	परियोजना/गतिविधि का नाम	पता/स्थान	पर उपयोग की गई रकम		
			परियोजना/गतिविधि	नई आस्ति	प्रशा. स्प.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)"

(घ) क्रम संख्याक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

" 8क. संगम द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों के ब्यौरे:

(1) क्या संगम या उसके प्रमुख कृत्यकारियों ने वर्ष के दौरान कोई प्रकाशन नहीं किया है: हां/नहीं

(2) यदि हां, तो प्रकाशनों के ब्यौरे :

प्रकाशन की तारीख	जनसंचार की प्रकृति (पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र लेख आदि)	शीर्षक	(समाचार पत्र/वेबसाइट का नाम जहां इसे परपोषित किया जाता है आदि) में/पर प्रकाशित।	लेख का संक्षिप्त विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

टिप्पण : धारा 3 (1)(छ) के अनुसार, संगम जनसंचार के किसी भी माध्यम से किसी भी समाचार या समसामयिक मामलों से संबंधित मामलों के उत्पादन या प्रसारण में संलग्न नहीं होगा”

(ड) क्रम संख्याक 9 के सामने,

(i) खंड (v) में, "प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख" प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख और यूडीआईएन;"

(ii) खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(v क) विदेशी अभिदाय के लिए रखे गए अलग-अलग लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का यूडीआईएन;”

18. उक्त नियमों के, प्ररूप एफसी-6ड के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप एफसी-6च

[नियम 9(1ख) और 17ख देखें]

सचिव,

भारत सरकार,

गृह मंत्रालय,

विदेशी प्रभाग (एफसीआरए विंग),

नई दिल्ली – 110002

विषय: रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रयोजन / राज्य / संघ राज्यक्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए आवेदन

1. संगम ब्यौरे

1.1 एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण संख्याक: _____

1.2 संगम का नाम: _____

1.3 पता (एफसीआरए अभिलेख के अनुसार): _____

1.4 संगम की प्रकृति: (सोसायटी/न्यास/धारा 8 कंपनी/अन्य) _____

1.5 ई-मेल आईडी: _____

1.6 टेलीफोन नंबर: _____

2. समावेशन/हटाने के लिए आवेदन

2.1 जोड़ने का प्रयोजन: _____

2.2 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र प्रदेश जोड़े जाएंगे: _____

2.3 हटाने का प्रयोजन: _____

2.4 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र प्रदेश हटाए जाएंगे: _____

3. घोषणा

मैं, _____ (नाम), _____ (पदनाम), संगम का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

[मुख्य कृत्यकारी का नाम
(सभापति/अध्यक्ष/सचिव/सीईओ/एमडी) बड़े अक्षरों में]
(व्यक्ति/संगम की मुद्रा)

टिप्पण : राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र प्रदेश और/या प्रयोजन के परिवर्तन की सूचना देने वाले आवेदक को परिवर्तन को प्रभावित करने से पहले पारित शासी निकाय के संकल्प की एक प्रति भी संलग्न करनी होगी।

[फा. सं. II/21022/23(12)/2020-एफसीआरए-II]
गया प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 349 (अ) तारीख 29 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 292 (अ) तारीख 12 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 966 (अ) तारीख 14 दिसंबर, 2015, सा.का.नि. 199 (अ) तारीख 7 मार्च, 2019, सा.का.नि. 659 (अ) तारीख 16 सितंबर, 2019, सा.का.नि. 695(अ) तारीख 10 नवम्बर, 2020, सा.का.नि. 506(अ) तारीख 1 जुलाई, 2022, साका.नि. 683(अ) तारीख 22 सितंबर, 2023, सा.का.नि. 790(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2024 और सा.का.नि. 342(अ) तारीख 26 मई, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3272(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, namely:—

1. (1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
 - (ca) “key functionary”, in relation to a person other than an individual, includes—
 - (i) the Director of a company;
 - (ii) a partner in a firm;
 - (iii) a trustee of a trust;
 - (iv) the Karta of a Hindu undivided family;

- (v) an office bearer, member of the governing body, managing committee or other controlling authority of a society, trust, trade union or association of individuals; and
- (vi) any other officer or person, by whatever name called, who has control over, or responsibility for the management or affairs of such person;’.

3. In the said rules, in rule 5,—

- (a) in clause (i), for the words “Members of the Executive Committee or Governing Council of the person”, the words “key functionaries of the person” shall be substituted;
- (b) in clause (iii), for the words “Members of the Executive Committee or Governing Council”, the words “key functionaries” shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 9,—

(a) In sub-rule (1), in clause (a), for the words “each office bearer and key functionary and member”, the words “each key functionary” shall be substituted;

(b) after sub-rule (1A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(1B) (a) The certificate of registration shall specify the purpose or purposes and the States or Union territories for which registration is granted.

(b) Every application for registration shall mention—

- (i) the purpose or purposes for which registration is sought, chosen only from such list of purposes as specified in the Schedule appended to these rules; and
- (ii) the States or Union territories in which the association proposes to undertake the activities.

(c) Every association registered before the commencement of the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2026 shall, within one year of such commencement, submit to the Central Government an intimation in Form FC-6F specifying the purpose or purposes and the States or Union territories for which it seeks to retain its registration.”.

(c) In sub-rule (2), in clause (f), in sub-clause (ii),—

- (i) in item (B), for the words “the office-bearers or members of the governing body”, the words “the key functionaries” shall be substituted;
- (ii) in item (C), for the words “the chief functionary or office bearer”, the words “the key functionary” shall be substituted;
- (iii) in item (D), for the words, “the office bearers or members of the governing body”, the words “the key functionaries” shall be substituted;

(d) in sub-rule (4), in clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the fee specified above shall be for registration to operate in one State or Union territory and to conduct activities for one purpose only; and where the application relates to more than one State or Union territory, an additional amount of rupees three hundred per State or Union territory shall be payable, and where the application relates to more than one purpose, an additional amount of rupees three hundred per purpose shall be payable.”;

(e) after sub-rule (5), the following Explanations shall be inserted, namely:—

“Explanation 1.— It is hereby clarified that an association having foreign nationals, other than those of Indian origin, as its key functionaries shall ordinarily not be considered eligible for grant of registration or prior permission under the Act:

Provided that the Central Government may, by order, specify such cases or circumstances in which foreign nationals may be permitted to be key functionaries of an association for the purposes of consideration of registration or prior permission, and the conditions to be fulfilled for such consideration.

Explanation 2.— For the removal of doubts, it is hereby clarified that the foreign contribution so received shall be utilised only for activities carried out in India in accordance with the association’s stated objectives and for the purposes for which such contribution has been received.

5. In the said rules, in rule 9A, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that an association seeking release of the second or any subsequent instalment shall make an application in Form FC-3BB and the second or any subsequent instalment shall be released only after utilisation of seventy-five per cent. of the foreign contribution received in the previous instalment and after field inquiry of such utilisation.”

6. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (2), for the words “each office bearer, key functionary and member”, the words “each key functionary” shall be substituted.

7. In the said rules, after rule 14, the following rule shall be inserted, namely:-

“14A. Utilisation of foreign contribution for reasonable activity.- For the purposes of cancellation under section 14 and renewal under section 16, an association shall be deemed to have undertaken reasonable activity in its chosen field for the benefit of society if it has utilised foreign contribution of not less than ten lakh rupees in the last two financial years for such purpose.

Explanation.— The expression “reasonable activity” shall be deemed to include only such activity as is undertaken out of, or by utilising, foreign contribution received in accordance with the Act.”.

8. In the said rules, in rule 17,-

(a) in sub-rule (1), after the words “scanned copies of”, the words “the detailed activity report,” shall be inserted.

(b) sub-rules (3), (4) and (5) shall be omitted.

9. In the said rules, in rule 17A, in clause (iv), for the words, “office bearers or key functionaries or members”, the words “key functionaries” shall be substituted.

10. In the said rules, after rule 17A, the following rule shall be inserted, namely:-

“17B. Change of scope of registration.- (1) An association registered under the Act which intends to change its area of operation by including or deleting any purpose or any State or Union territory specified in its certificate of registration shall apply, in Form FC-6F, for such inclusion or deletion, along with—

(a) a resolution of the governing body approving such application;

(b) the prescribed fee.

(2) The fees payable for inclusion of additional purpose or State or Union territory under sub-rule (1) shall be in accordance with sub-rule (4) of rule 9 and the proviso thereof.

(3) The Central Government may, after such inquiry as it deems fit, approve or reject the application under sub-rule (1).”.

11. In the said rules, after rule 23 and before Form FC-1, the following Schedule shall be inserted, namely:-

“ SCHEDULE
Purposes for Registration
[See rule 9 (1B)]

VI. Religious:

Sl.	Purposes/ Activities
1	Construction, renovation, and maintenance of temples, mosques, churches, gurudwaras, monasteries, synagogues, and other places of worship.
2	Preservation, printing, translation, and digitisation of sacred scriptures and commentaries used in liturgy.
3	Preservation and support of institutions engaged in the study, documentation, and preservation of religious philosophy, theology and religious history (excluding proselytisation).
4	Provision of amenities for pilgrims at heritage religious sites (drinking water, sanitation, shelter).
5	Setting up of dharamshalas, langars, annadans, and community kitchens under religious auspices.
6	Conduct of religious education, moral instruction, satsangs, discourses, and meditation retreats (excluding proselytisation).
7	Promotion of devotional music, chants, theatre, and liturgical arts.
8	Documentation, preservation, and revival of indigenous and tribal faith practices, rituals and systems of worship (excluding proselytisation).

9	Protection of sacred relics, shrines, places of worship, and archaeological religious heritage primarily associated with religious practice.
10	Archiving, digitisation, and oral-history recording of religious rituals, festivals, and traditions of faith communities.
11	Inter-faith dialogue, harmony-building programmes, and peace initiatives through religious institutions.
12	Religious publications, journals, and faith-based research.
13	Establishment of religious libraries, museums, and archives.
14	Faith-based counselling centres, de-addiction centres, and social care programmes operated through religious organisations.
15	Training in traditional sacred crafts: idol-making, church art, calligraphy of scriptures, iconography, etc.
16	Burial/ cremation ground development and maintenance.

VII. Cultural:

Sl.	Purposes/ Activities
1	Archaeological exploration, excavation, conservation, and restoration of monuments, heritage sites, forts, and palaces.
2	Establishment and maintenance of museums, archives, libraries, cultural interpretation centres, and heritage walks.
3	Documentation, preservation, and promotion of folk songs, dances, oral epics, storytelling, and puppetry.
4	Support for classical performing arts: Bharatanatyam, Kathak, Odissi, Carnatic music, Hindustani music, Yakshagana, etc.
5	Promotion of contemporary arts inspired by Indian traditions (excluding political/ ideological content): visual arts, sculpture, cinema, photography, design.
6	Training and capacity-building for artisans, craftspersons, handloom weavers, potters, woodworkers, and metal workers.
7	Preservation of non-religious manuscripts, palm-leaf texts, paintings, frescoes, and rare cultural artefacts.
8	Promotion and preservation of regional languages, dialects, and scripts, including translation projects.
9	Establishment of literary academies, support to writers, poets, and translators, and organisation of book fairs.
10	Support to tribal and indigenous cultural heritage, including festivals, crafts, oral traditions, languages, and customs, excluding religious rituals and worship practices.
11	Organisation of national and international cultural festivals, fairs, and exhibitions.
12	Development of craft villages, heritage circuits, art hubs, and cultural tourism facilities.
13	Promotion of traditional culinary practices, traditional sports, food festivals, and culinary heritage preservation.
14	Research in cultural anthropology, ethnography, and folk studies.
15	Archiving and digitisation of films, radio programmes, theatre scripts, and photographs.
16	Documentation and preservation of traditional knowledge systems as intangible cultural heritage (e.g., Ayurveda manuscripts, tribal medicine practices).
17	Preservation of scientific and knowledge heritage (astronomy, mathematics, metallurgy manuscripts, traditional technologies).
18	Documentation and archiving of modern historical movements and oral histories of national importance (freedom struggle, social reform, etc.).

VIII. Economic:

Sl.	Purposes/ Activities
1	Agricultural development programmes: farmer training, non-commercial input support, organic farming promotion.
2	Allied activities: dairy farming, animal husbandry, poultry, fisheries, sericulture, apiculture (non-commercial).
3	Formation and strengthening of farmer-producer organisations (FPOs), cooperatives, and self-help groups (SHGs).
4	Microfinance, microcredit, and community savings institutions for poor households.

5	Vocational training and livelihood-linked short-term skilling programmes (non-formal) not leading to recognised educational qualifications.
6	Promotion of rural and cottage industries such as weaving, pottery, handicrafts, and agro-processing, undertaken with non-profit and community welfare orientation.
7	Support for socially-oriented micro, small, and medium enterprises operating on a non-profit or community-benefit basis.
8	Women's entrepreneurship promotion: tailoring, food processing, handicrafts, small-scale manufacturing.
9	Skill incubation centres and employability-oriented digital skilling programmes for youth (IT, coding, electronics).
10	Infrastructure creation for livelihoods: rural haats, cold storages, community processing units.
11	Promotion of fair-trade, ethical supply chains, and eco-friendly businesses.
12	Encouragement of sustainable community livelihood models in eco-tourism, and homestays.
13	Fisheries and aquaculture livelihood training for coastal and inland communities.
14	Green economy livelihoods: solar technicians, e-waste handlers, recycling units.
15	Job placement services, employment exchanges, and market linkages for trained youth.
16	Food processing and value addition units.
17	Digital literacy, financial literacy, technology access, and digital inclusion programmes for livelihood enhancement and economic inclusion of rural and marginalised communities.
18	Livelihood support for migrant workers and vulnerable groups, including temporary shelter-linked employment opportunities.
19	Community renewable energy enterprises (solar, biogas, micro-grids) generating local jobs.

IX. Educational:

Sl.	Purposes/ Activities
1	Establishment and management of educational institutions and facilities, including early childhood education centres, schools, colleges, universities, hostels, libraries, reading rooms, and community learning centres.
2	Scholarships, fellowships, stipends, and financial aid for disadvantaged students.
3	Adult literacy, continuing education, and night schools for workers.
4	Inclusive education for marginalized children and differently-abled children with Braille, sign language, and assistive technologies.
5	Teacher training institutes, refresher courses, and academic fellowships.
6	Establishment and running of technical, industrial, and vocational education institutions leading to recognised certification, diploma, degree, or accreditation.
7	Research institutions, think-tanks, innovation labs, and academic chairs.
8	Digital education platforms, smart classrooms, e-libraries, and distance learning.
9	Girls' education initiatives: residential schools, hostels, scholarships.
10	Education for children of migrant workers, refugees, and nomadic tribes.
11	Bridge courses, remedial coaching, and dropout reintegration programmes.
12	Environmental education (including climate change, biodiversity awareness etc.) programs in schools/ colleges.
13	STEM education programmes, science clubs, and innovation fairs.
14	Structured Sports education and training academies attached to schools/ colleges.
15	Language teaching, translation studies, and linguistic training.
16	Career counselling centres, mentorship programmes, and educational placement cells.
17	Higher academic fellowships abroad in government-recognised institutions for meritorious students from disadvantaged backgrounds
18	Value-based and ethics education in schools.
19	Awareness programmes on constitutional rights, fundamental duties, and civic responsibilities, strictly non-political in nature.
20	Disaster preparedness education: mock drills, safety training, and community insurance literacy.
21	Digital inclusion initiatives: assistive technologies for differently-abled students, rural e-learning hubs.
22	Youth leadership and civic engagement programmes.

X. Social:

Sl.	Purposes/ Activities
1	Establishment and operation of hospitals, community health centres, dispensaries, mobile health clinics, ambulance services, patient transport facilities, and emergency medical response systems.
2	Preventive healthcare: vaccination drives, health awareness camps, vector-borne disease control.
3	Maternal and child healthcare, including maternity homes, neonatal care, nutrition supplementation, nutrition rehabilitation, and community-based management of malnutrition.
4	Nutrition and food security programmes, including midday meals, community kitchens, feeding programmes, grain banks, ration support, and hunger-relief initiatives.
5	Drinking water supply projects, community RO plants, and piped water schemes.
6	Sanitation: construction of toilets, hygiene awareness, menstrual health initiatives.
7	Orphanages, foster care, adoption support, and child protection homes.
8	Old-age homes, day-care centres, geriatric clinics, and pensions facilitation.
9	Disability care, including provision of assistive devices, rehabilitation services, therapy, vocational support, caregiver support, and community inclusion programmes.
10	Rehabilitation centres for drug addicts, alcoholics, and substance abusers.
11	Mental health counselling centres, suicide prevention helplines, and community psychiatry.
12	Women's safety and empowerment: shelters, legal aid, self-defence training.
13	Anti-trafficking programmes: rescue, rehabilitation, vocational reintegration.
14	Homeless shelters, night shelters, low-cost housing, and rehabilitation facilities for homeless, destitute, abandoned, and vulnerable persons.
15	Legal aid clinics, paralegal training, and access-to-justice programmes.
16	Disaster relief, emergency response, and post-disaster rehabilitation relating to floods, earthquakes, cyclones, pandemics, and similar calamities.
17	Provision of basic civic and community infrastructure such as electrification, rural roads, solar lighting, and community halls, strictly on a non-commercial, community-welfare basis.
18	Community-based environmental protection and restoration (afforestation, biodiversity parks, mangrove projects).
19	Water harvesting and watershed management for community welfare and drinking water security.
20	Waste management at community level (solid waste, e-waste, plastic-free campaigns, recycling units).
21	Road safety: awareness, trauma-care centres, first-aid training.
22	Operation of community radio stations, helplines, and awareness platforms, subject to compliance with applicable broadcasting, telecom, and IT regulations.
23	Rehabilitation and reintegration of released prisoners.
24	Support to victims of domestic violence, dowry harassment, and acid attacks.
25	Community-level sports and recreation facilities for underprivileged children and youth (non-institutional).
26	Animal Protection, Rescue and Rehabilitation
27	Public health research: disease mapping, epidemiology, and health data systems.
28	Palliative care and hospice services for terminally ill patients.
29	Community blood banks, eye banks, and organ donation awareness.
30	Pre-disaster risk reduction, mitigation, preparedness, and resilience programmes, including flood control works, cyclone shelters, early-warning dissemination, community drills, and community emergency response teams.”.

12. In the said rules, in Form FC-2, after serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number shall be inserted, namely:-

“8A. Details of office and service particulars:

- (a) Name of Legislature/ House, Constituency (*in case of member of legislature*)
- (b) Designation, Name of party (*in case of office bearer of political party*)
- (c) Designation, Name of Court (*in case of Judge*)
- (d) Service, batch/ Year of joining of service, designation, office details (*in case of Government Servant*)

(e) Designation, office details and name of corporation/ body (*in case of employee of corporation or body*)”.

13. In the said rules, in Form FC-3A,-

(a) against serial number 2,-

(i) in entry (e), the words “, if any” shall be omitted;

(ii) after entry (f), the following shall be inserted, namely:-

“(g) Social Media accounts of the association.”;

(b) after serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number shall be inserted, namely:-

“4A. Scope of registration:

(a) Purpose of FCRA Registration (select activities)

(b) Geographical Area of operation (select states)”;

(c) after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number shall be inserted, namely:-

“5A. Details of activities undertaken in the last three financial years:

Sl.	Name of project/ activity	Address/ location	Amount utilised in FY1	Amount utilised in FY2	Amount utilised in FY3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)”

(d) in serial number 10, in the entries under column (1) of the table, for the words ‘Another “FCRA Account”, if any’, the words ‘Another “FCRA Account” and utilisation accounts, if any’ shall be substituted;

(e) after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“13. Whether:

(iv) The person/ association has been constituted or established by or under a Central Act or a State Act or by any administrative or executive order of the Central Government or any State Government;

(v) The person/ association is wholly owned by the respective Government;

(vi) The person/ association is required to have its accounts compulsorily audited by the Comptroller and Auditor General of India (CAG).”.

14. In the said rules, in Form FC-3B, after serial number 13 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“14. Whether:

(iv) The person/ association has been constituted or established by or under a Central Act or a State Act or by any administrative or executive order of the Central Government or any State Government;

(v) The person/ association is wholly owned by the respective Government;

(vi) The person/ association is required to have its accounts compulsorily audited by the Comptroller and Auditor General of India (CAG).”.

15. In the said rules, after Form FC-3B, the following form shall be inserted, namely:-

“FORM FC-3BB
[See rule 9A]

No. _____

Date: _____

Darpan ID: _____

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing),
New Delhi-110002.

Subject: Application for release of second or subsequent instalment of foreign contribution permitted under prior permission granted under sub-section (2) of section 11 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

I/ We (*name of person/ association*), having been granted prior permission vide order No. dated for receipt of foreign contribution from (*name of foreign source*), furnish the following particulars for release of the next instalment under rule 9A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011.

1. Details of person/ association

- (a) Name in full:
- (b) Address:
- (c) FCRA Prior Permission number and date:
- (d) Telephone number:
- (e) E-mail address:
- (f) Darpan ID:

2. Details of prior permission

- (a) Name of foreign source:
- (b) Country of foreign source:
- (c) Value of foreign contribution permitted under prior permission (Rs.):
- (d) Purpose for which foreign contribution was permitted to be received:
- (e) Period for which prior permission was granted:
- (f) Number of instalments in which FC permitted:
- (g) Number of instalments already approved earlier:

3. Details of foreign contribution received and utilised

Particulars	Amount (Rs.)
(a) Value of foreign contribution permitted under prior permission	
(b) Foreign contribution received till date	
(c) Foreign contribution utilised till date	
(d) Balance foreign contribution available	

4. Details of previous instalment

Particulars	Amount (Rs.)
(a) Amount of previous instalment received	
(b) Year of receipt	
(c) Amount utilised out of previous instalment	
(d) Balance available	

Whether seventy-five per cent. or more of the foreign contribution received in the previous instalment has been utilised:
Yes / No

5. Activity-wise utilisation of foreign contribution received in the previous instalment

Sl. No. (1)	Name and location of project/ activity (2)	Amount received (Rs.) (3)	Amount utilised (Rs.) (4)	Balance (Rs.) (5)	Remarks (6)
1					
2					
3					
	Total				

6. Details of assets created out of foreign contribution received in previous instalment, if any

Sl. No.(1)	Details of asset (2)	Address/location (3)	Value (Rs.) (4)
1			
2			
3			

7. Whether during the period under report—

(a) any foreign contribution has been utilised for purposes other than those for which prior permission was granted;
Yes / No

(b) any foreign contribution has been received otherwise than in accordance with the prior permission; **Yes / No**

(c) any violation of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 or rules made thereunder has occurred; **Yes / No**

(d) any change in office bearers or key functionaries has taken place; **Yes / No**

(e) any asset created out of foreign contribution has been transferred, sold or otherwise disposed of. **Yes / No**

* Wherever the answer is 'Yes', brief details shall be provided.

8. Amount of foreign contribution sought to be released in the next instalment: Rs.:__

Declaration and Undertaking:

(a) I/We hereby declare that the information furnished above is true and correct;

(b) I/We undertake that the foreign contribution already received has been utilised only for the purpose for which prior permission was granted;

(c) I/We certify that not less than seventy-five per cent. of the foreign contribution received in the previous instalment has been utilised;

(d) I/We undertake that the foreign contribution released in the next instalment shall be utilised only in accordance with the terms and conditions of the prior permission granted by the Central Government.

Place:

Date:

Yours faithfully,
(Signature)

[Name of the Chief Functionary
(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD)]
(Seal of the person/association)

Note: The applicant seeking release of second or subsequent instalment shall enclose the following documents, namely:—

- (a) utilisation statement of the previous instalment, duly certified by a Chartered Accountant;
- (b) copy of bank statement of the FCRA designated account and utilisation account(s) covering the period from receipt of previous instalment till the date of application;
- (c) brief report regarding utilisation of foreign contribution received in the previous instalment along with photographs of activities, if any;
- (d) such other documents as may be required by the Central Government.

Certificate to be given by Chartered Accountant

I have examined all relevant books and vouchers of (*name of person/association*) for the period from to , and certify the following particulars in respect of the foreign contribution received in the previous instalment:—

- (i) total foreign contribution received in the previous instalment was Rs.
- (ii) foreign contribution utilised out of the previous instalment was Rs.
- (iii) balance of unutilised foreign contribution as on date of certificate was Rs.
- (iv) the utilisation is not less than seventy-five per cent. of the foreign contribution received in the previous instalment: **Yes / No**

(v) Activity-wise and location-wise utilisation of foreign contribution received in the previous instalment is as under:—

Sl. No. (1)	Name and location of project/ activity (2)	Amount received (Rs.) (3)	Amount utilised (Rs.) (4)	Balance (Rs.) (5)	Remarks (6)
1					
2					

I have examined all relevant books and records, and to the best of my knowledge and belief (*name of the person/association*) has

(*Strike out whichever is not applicable*)

(i) not violated any provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 or rules made thereunder or notifications issued thereunder;

or

(ii) violated the provisions of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 or rules made thereunder or notifications issued thereunder. The details of the violation(s) are as under:

Details of Chartered Accountant:

- (i) Name:
- (ii) Member registration number:
- (iii) Address:
- (iv) E-mail address:
- (v) Date of issue of certificate:

Place:

Date:

(Signature of Chartered Accountant)

Name:

Membership No.:

(Seal)".

16. In the said rules, in Form FC-3C,-

(a) after serial number 11 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“12. Whether:

- (i) The person/ association has been constituted or established by or under a Central Act or a State Act or by any administrative or executive order of the Central Government or any State Government;
- (ii) The person/ association is wholly owned by the respective Government;
- (iii) The person/ association is required to have its accounts compulsorily audited by the Comptroller and Auditor General of India (CAG).”;

(b) in the note at the end of the form, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) year wise detailed activity report of last three financial years”.

17. In the said rules, in Form FC-4,

(a) against serial number 1, after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(c) Official website of the person/ association:

(d) Social media accounts of the person/ association:”;

(b) against serial number 2, in clause (ii),

(i) in sub-clause (a), in the table, in column (3), for the column heading “Institutional/ Individual”, the column heading “Institutional/ Individual/ Donor Advised Funds/ Other intermediary remittance vehicles” shall be substituted;

(ii) after sub-clause (a), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(aa) Details of ultimate donors in case of Donor Advised Funds/ Other intermediary remittance vehicles:

Sl.	Name of intermediary	Nature of intermediary (Donor Advised Funds/ Other intermediary remittance vehicles)	Name of ultimate donor	Address of ultimate donor	Email Address of ultimate donor	Amount Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(c) against serial number 3, in clause (a),

(i) after the words and brackets “(in rupees)”, the words and brackets “[Detailed activity report shall be attached]” shall be inserted;

(ii) after the table and before sub-clause (i), the following shall be inserted, namely:-

“Sl.	Name of project/ activity	Address/ location	Amount utilised on		
			Project/ activity	Fresh Assets	Admin. Exp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)”

(d) after serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“ 8A. Details of publications brought out by the association:

(i) Whether the association or its key functionaries has brought out any publication during the year: Yes/ No

(ii) If yes, details of the publications:

Date of publication	Nature of mass communication (Book, magazine, Newspaper article etc.)	Title	Published in/ on (Name of newspaper/ website where it is hosted etc.)	Brief description of the article
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Note: As per Sec. 3(1)(g), the association shall not engage in production or broadcast of any news or current affairs related matters through any mode of mass communication”

(e) against serial number 9,

- (i) in clause (v), for the entry “date of issue of certificate;”, the following entry shall be substituted, namely:-
“date of issue and UDIN of certificate;”
- (ii) after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:-
“(va) UDIN of the separate audited financial statements maintained for foreign contribution;”

18. In the said rules, after Form FC-6E, the following form shall be inserted, namely:-

“FORM FC-6F
[See rules 9(1B) and 17B]

To
The Secretary,
Government of India,
Ministry of Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing),
New Delhi – 110002

Subject: Application for inclusion of purpose / State / Union Territory in Certificate of Registration

1. Association Details

- 1.1 FCRA Registration Number: _____
- 1.2 Name of Association: _____
- 1.3 Address (as per FCRA records): _____
- 1.4 Nature of Association: (Society / Trust / Section 8 Company / Other) _____
- 1.5 Email ID: _____
- 1.6 Telephone Number: _____

2. Application for Inclusion/ deletion

- 2.1 Purpose to be added: _____
- 2.2 State/UT to be added: _____
- 2.3 Purpose to be deleted: _____
- 2.4 State/UT to be deleted: _____

3. Declaration

I, _____ (name), _____ (designation), authorised signatory of the association, hereby declare that the information furnished above is true and correct.

[Name of the chief functionary
(Chairperson/ President/ Secretary/ CEO/ MD) in block letters]
(Seal of the person/ association)

Note: Applicant intimating change of state/ UT and/or purpose shall also enclose a copy of Resolution of the Governing body passed before effecting the change.”.

[F. No. II/21022/23(12)/2020-FCRA-II]

GAYA PRASAD, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i), *vide* notification number G.S.R. 349(E), dated the 29th April, 2011 and subsequently amended, *vide* G.S.R. 292(E), dated the 12th April, 2012, G.S.R. 966 (E), dated the 14th December, 2015, G.S.R. 199 (E), dated the 7th March, 2019, G.S.R. 659 (E), dated the 16th September, 2019, G.S.R. 695(E), dated the 10th November, 2020, G.S.R. 506(E), dated the 1st July, 2022, G.S.R. 683(E), dated the 22nd September, 2023, G.S.R. 790(E), dated the 31st December, 2024 and G.S.R. 342(E), dated the 26th May, 2025.